प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 97/2022

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 104/103 की कुल 4.1230है में 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 128/126 की कुल 6.0720है0 भूमि में 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजाा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 555/525 की कुल 4.3010है0 भूमि में 1/12 हिस्सा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे खाता स0 104/103 व खाता 128/126 में प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार व खाता स0 555/525 में महेन्द्र नाम दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम महेन्द्र सिंह है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड तथा सरपंच ग्राम पंचायत उज्जलवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम महेन्द्र सिंह दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर के पत्रांक 1576 दिनांक 09.02.23 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी के [illegible] आधार पर महेन्द्र नाम किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में पेश [illegible]कील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का सही नाम महेन्द्र सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महेन्द्र/महेन्द्र कुमार दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना

करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 104/103 की कुल 4.1230है में 1/6 हिस्सा व रोही मौजाा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 128/126 की कुल 6.0720है0 भूमि में 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजाा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 555/525 की कुल 4.3010है0 भूमि में 1/12 हिस्सा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम महेन्द्र/महेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड व सरंपच ग्राम पंचायत उज्जलवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में सही नाम महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक मेघाना, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 104/103 की कुल 4.1230है में 1/6 हिस्सा व रोही मौजाा चक 5 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 128/126 की कुल 6.0720है0 भूमि में 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजाा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 555/525 की कुल 4.3010है0 भूमि में 1/12 हिस्सा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी महेन्द्र/महेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर सही नाम महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच महेन्द्र/महेन्द्र कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का महेन्द्र/महेन्द्र कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम महेन्द्र/महेन्द्र कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को मेरे प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प :उज्जलवास